न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 28/2021

उनवान

1. रमेश पुत्र श्योचन्द
2. लाली पत्नी श्योचन्द
3. सतपाल पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :–

दिनांक :– 16.8.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया प0म0 बुबानिया के खसरा नम्बर 3012 रकबा 2.40 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की है जिस पर प्रार्थीगण निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है।

वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा	वि.वि.
3078 मिन	2.40	3012	2.40	प्रार्थीगण की खातेदारी
3078 मिन	0.51	3013	0.51	सिवायचक

ग्राम बूबानिया के वर्किंग खसरा नम्बर 3078 का कुल रकबा 2.91 है0 था। वंर्किग खसरा नम्बर 3078 में से 14–17–0 भूमि बख्ता पुत्र हजारी जाति जाट के नाम गैंर खतेदारी दर्ज की गयी। तथा नामान्तकरण संख्या 178 द्वारा बख्ता के बजाय विरासत से प्रभु, श्योचन्द के नाम दर्ज हुयी। प्रभु पि0 बख्ता अविवाहित फौत हो गया है जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। वंर्किग खसरा नम्बर 3078 बके हाल खसरा नम्बर 3012 रकबा 2.40 बने जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज़ है। वंर्किग खसरा नम्बर 3078 मिन रकबा 0.51 जिसके हाल खसरा नम्बर 3013 रकबा 0.51 बने है राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व सिवायचक खसरा नम्बर का रकबा राजस्व अभिलेख में सही अंकित है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 3012 का रकबा [illegible] ये सिवायचक खसरा नम्बर 3013 का रकबा बढा दिया है। वर्तमान में प्रार्थीगण की [illegible] सिवायचक आराजी का रकबा बराबर कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण के हितों पर विपरित [illegible] पडा है। अतः हाल खसरा नम्बर 3012 का रकबा 2.40 है0 का रकबा वर्किंग मानचित्र में दर्ज रकबा 2.40 है0 अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्त किया जावें।

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिसके अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3012 व सिवायचक खसरा नम्बर 3013 का रकबा कम है। वंर्किग खसरा नम्बर 3078 का रकवा भी पूर्व में कम है। तथा वंर्किग खसरा नम्बर 3078 का रकबा 3067 में बढा दिया गया है। अतः हाल खसरा नम्बर 3012 व 3013 की उतरी दिशा की भुजा हाल खसरा नम्बर 2989 व 2988 की तरफ लगभग 15 मीटर आगे बढाने पर हाल खसरा नम्बर 3012 व 3013 का रकबा पूर्ण हो जायेगा। वादग्रस्त आराजी का राजस्व मानचित्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख व वंर्किग जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 3012 व 3013 का रकवा जमाबंदी में सही है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा का इन्द्राज परिवर्तित कर दिया हल्का पटवारी की रिपोर्ट व राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 3012 का रकवा राजस्व मानचित्र में अधिक दर्शाया है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 3013 का रकवा राजस्व मानचित्र में कम दर्शाया है। यह दोनो खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 3078 से बने है। वंर्किग खसरा नम्बर 3078 की उत्तरी सीमा पर डोटेड लाईन अंकित है जों कि पुख्ता नही है। डोटेड लाईन के आधार पर वंर्किग खसरा नम्बर 3078 का रकबा बरारी करने पर लगभग 3200 वर्ग मीटर भूमि वंर्किग राजस्व मानचित्र में जमाबंदी में अंकित रकबे से कम है तथा उक्त खसरा नम्बर के उत्तर दिशा में स्थित वंर्किग खसरा नम्बर 3067 जिसका जमाबंदी में कुल रकबा 143–0–0 है का रकबा लगभग 3220 वर्ग मीटर ज्यादा दर्शाया है। इस प्रकार वंर्किग खसरा नम्बर 3078 की उत्तरी भुजा जो खसरा नम्बर 3067 से लगती हुयी है को लगभग 15 मीटर उत्तर की ओर खसरा नम्बर 3067 में बढाने के बाद वंर्किग खसरा नम्बर 3078 व 3067 का रकबा जमाबंदी तथा राजस्व मानचित्र में सही अंकित हो जायेगा। अतः हाल खसरा नम्बर 3012 व 3013 की उतरी भुजा खसरा नम्बर 2988 व 2989 की ओर लगभग 15 मीटर आगे दर्ज करने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 3012 व सिवायचक खसरा नम्बर 3013 का रकबा पूर्ण हो जायेगा। उक्तानुसार प्रार्थीगण के कथनों की ताईद होती है। प्रकरण के खण्डन हेतु पत्रावली पर कोई तथ्य नही है। बंदोबस्त विभाग को राजस्व मानचित्र में बिना किसी आधार के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

अतः ग्राम व प0म0 बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 3012 रकबा 2.40 व 3013 रकबा 0.51 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 3012 व 3013 की उत्तरी भुजा खसरा नम्बर 2988 व 2989 की ओर लगभग 15 मीटर आगे दर्ज कर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 3012 व सिवायचक खसरा नम्बर 3013 का रकबा पूर्ण करने हेतु तरमीम करके हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:59:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)